

12-6-18

आज यह पत्रावली राजस्व लीड अदालत अदालत
 सेवा डेड लखवाण सा चेथ हुई। वादी नल्मी
 प्रतिवादी गोरेवाल उपर। वादी नल्मी ने एड
 प्रॉपत्र इत आशय का चेथ किया कि मेरा
 विवाह प्रतिवादी गोरे व पुनरी से है अन्य
 खे कोई विवाह नहीं है। प्रतिवादी गोरे ने
 सिबेदन किया कि मेरे द्वारा 1907 392
 मे खे जमीन रुय की गई है लेकिन मेरे
 द्वारा रुय की गई जमीन के वाकत कोई
 रजिस्टर्ड दस्तावेज चेथ नही कने के कारण
 उनके द्वारा जमीन रुय किये जाने की पुष्टि
 नही होती है। वादीगण विवाहित आरती
 के मूल आवेदा है। उनके द्वारा प्रतिवादी
 स. 192 के विरुद्ध सी अनुतोष-वाहा
 है। उपरोक्त सिबेदन अनुसार एड दावा
 वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी स. 192 डिडी
 किया जाना उचित समझला है।
 अतः आदेश है कि दावा वादीगण
 विरुद्ध प्रतिवादीगण स. 192 डिडी किया
 जाता है। प्रतिवादी स. 192 को जलिये
 अहमदाई लमाई निकोवास हामेसा
 हामेसा के लिये पाकड किया जाता है।
 वह वादीगण के आवेदासी की आरती

नलीलाल
गोरेवाल



(Signature)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म के आदेश में जारी हुये
	<p>खसला नम्बर 392 प्रकरण 1 की वृत्त 10/12/2014 प्राई गाम-दुन्नापुरा तहसील खैरपूर पर डिक्री प्रदान का हस्तक्षेप नली करे तथा वर्तमान में वर्तमान में डिमे जमे आते इमण डी दश लेवे । पर्या डिडी जारी हो । पर्याकली के सब शुभाह होकर दाखिल करवाए हो</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p> <p style="text-align: right;">पौडासीन अधिकारी लोक अदालत के कोर्ट न्यायालय उपखण्ड अदालत खैरपूर</p>	

14

15

16